बजट आवंटन /आयोजनागत
संख्या–179/ix/4-1/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्राण्ड एयरपोर्ट,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

परिवहन एवं नागरिक अनुभाग–2 देहरादन दिनांक : 27 मार्च 2008।

विषयः– जनपद पिथौरागढ के विभिन्न स्थानों पर हैलीपैड के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक निदेशक, नागरिक उडडयन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1640/डी0एस0सी0ए0/ह0पटटी–25/2008 दिनांक 15 फरवरी, 2008 एवं संख्या–1670/डी0एस0सी0ए0/ह0पटटी–25/2008 दिनांक 18 फरवरी, 2008 एवं जिलाधिकारी, पिथौरागढ के पत्र संख्या––र–3196–पन्द्रह–25/2005–06 दिनांक 25 फरवरी 2008 के कम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद मे कम से कम एक–एक हैलीपैड की योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ के निम्न चयनित स्थानों पर उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ द्वारा गठित निम्नतालिका के विवरणानुसार आगणनों रू0 537.18 लाख (पॉच करोड सैतीस लाख अठारह हजार मात्र) की लागत के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 469.27 लाख (चार करोड उन्नहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकता के अनुसार व्यय हेतु आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्र0सं0	जनपद का नाम	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ द्वारा गठित आगणन की लागत(धनराशि लाख रू0 में)	टी0ए0सी0द्वारा संस्तुत धनराशि (धनराशि लाख रू0 में)	निर्माण इकाई
1	राईआगर, बेरीनाग मे हैलीपेड का निर्माण	97.01	84.24	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
2	गोटी, धारचूला मे हैलीपेड का निर्माण	109.79	96.10	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
3	धापरी, मुन्स्यारी मे हैलीपेड का निर्माण	116.01	101.97	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
4	उपराडा, गंगोलीहाट मे हैलीपेड का निर्माण	109.11	95.42	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
5	ओगला, डीडीहाट मे हैलीपेड का निर्माण	105.26	91.54	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
	योग	537.18	469.27	

1– उक्त धनराशि की आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है। बल्कि इस धनराशि का व्यय हेतु आहरण शासनादेश संख्या–298/ix/2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 एवं शासनादेश संख्या–323/ix/20007 दिनांक 27 दिसम्बर 2007 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि रू0 469.27 लाख (चार करोड उन्नहत्तर लाख सत्ताइस हजार) का आहरण उपरोक्त फॉट के अनुसार करते हुये संबंधित निर्माण इकाई के अधिशसी अभियन्ता को रेंखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। आगणनों में उल्लिखित दरों का विश्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जों दरें शिडयूल्ड आफफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेष्टस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होग।बिना प्राविधक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृति की गयी है। निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर पर्चेज नियमों का ध्यान रखा जाय।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए एवं इस संबंध में पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेस नियमों का पालन कडाई से किया जाए।

10– हैलीपैड के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों की एक प्रति के साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा हैलीपैड एवं H के संबंध में निर्धारित मानक आगणन की भी एक प्रति संलग्न है। इस संबंध में निर्माण इकाई द्वारा जिलाधिकारी से आवश्यक परामर्श करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

11–इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेगे।

12–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

14–धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15–कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5–4–05 का अनुपालन किया जायेगा।

16–कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही करायी जाय किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

17–कार्यदायी संस्था/ईकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नही किया जायेगा।

18–कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाइ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

19– कार्य करने से पूर्व स्थल का भलीभॅति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। तथा निरीक्षण के पश्चात स्थल निरीक्षण टिप्पणी के अुरूप कार्य किया जायेगा।

20– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv –291(2006) दिनांक 30–5–6 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने के काष्ट करें।

21–जी0पी0डब्लू फर्म–09 की शर्तो के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण ईकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

23– स्वीकृति की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना माह में दो बार निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–08 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा यदि दिनांक 31–3–08 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अग्रिम के रूप में आहरित इस धनराशि का दिनांक 3–3–2008 तक समायोजन का दायित्व संबंधित जिलाधकारी/निर्माण इकाई का ही होगा। अन्यथा इस बशेष अनियमितता मानकर ही पूर्ण रूप से उत्तदायी माने जायेंगें।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–24 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमानपत्तन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–11–व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार के मानक मद–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–238/xxvii (2)/2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा,)
प्रमुख सचिव।

संख्या–179 /ix /2(60)/2008 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तरांचल ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊ।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट निर्माण विंग उत्तरांचल पेयजल निगम,पिथौरागढ
8– अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ ।
9– अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ ।
10– वित्त अनुभाग–2
11– गार्ड फाइल।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।